



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2016/भाद्र 29, 1938

No. 352]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016/BHADRA 29, 1938

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ शासित अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुडगाँव, 22 अगस्त, 2016

स.जेईआरसी/14/2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इनके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एवं 28 जनवरी, 2016 की संशोधित टैरिफ नीति, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित अधिसूचित क्षेत्रों के लिए), जेईआरसी (अक्षय ऊर्जा की खरीद विनियम)-2010 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस करता है।

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:

- (1) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित अधिसूचित क्षेत्रों के लिए (अक्षय ऊर्जा की खरीद), तृतीय संशोधन विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

प्रधान विनियमों के अंतर्गत उप विनियम (1.1) की तालिका-1 में, संशोधन तालिका को नियमानुसार प्रस्थापित किया जाता है: -

तालिका-1

वित्तीय वर्ष	अक्षय ऊर्जा की खरीद बाध्यता (आरपीओ)- न्यूनतम मात्रा (कि.वाट ऑवर में) (खपत की कुल ऊर्जा मिश्रण का%, जलविद्युत को छोड़कर)	
	कुल आरपीओ(%)	सौर आरपीओ(%)
	2010-11	1.00
2011-12	2.00	0.30
2012-13	3.00	0.40
2013-14	3.00	0.40
2014-15	3.30	0.60
2015-16	3.55	0.85
2016-17	4.85	1.65
2017-18	6.70	2.50
2018-19	9.00	3.60
2019-20	11.50	4.70
2020-21	14.10	6.10
2021-22	17.00	8.00

कीर्ति तिवारी, सचिव
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ शासित अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)
[विज्ञापन-III/4/असा./233(2181)]

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)**

NOTIFICATION

Gurgaon, 22nd August, 2016

No. JERC/14/2010.—In exercise of powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and based on the revised tariff policy of 28 Jan 2016, a need has arisen to amend certain provisions of the JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010.

1. Short title and commencement:

- (1) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for State of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable Energy), Third Amendment Regulations, 2016.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment in Table-1 of sub-Regulation (1.1) in the principal Regulations- the Table is replaced as under:-

TABLE – 1

Financial Year	Minimum Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO) of Renewable Energy (in KWh).	
	(% of total energy mix of consumption, excluding Hydro Power)	
	Total RPO (%)	Solar RPO (%)
2010-11	1.00	0.25
2011-12	2.00	0.30
2012-13	3.00	0.40
2013-14	3.00	0.40
2014-15	3.30	0.60
2015-16	3.55	0.85
2016-17	4.85	1.65
2017-18	6.70	2.50
2018-19	9.00	3.60
2019-20	11.50	4.70
2020-21	14.10	6.10
2021-22	17.00	8.00

KEERTI TEWARI, Secy.

Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & UTs

[Advt.-III/4/Exty./233(218I)]